

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 493 / 15

संस्थापन दिनांक:-25 / 08 / 15

फाईलिंग नं. 233504001532015

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

हरीराम पिता श्यामू पवार  
 उम्र 43 वर्ष, निवासी अंधारिया,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 06.08.2015 को समय दोपहर 02:00 बजे अंधारिया दैयतबाबा वाला खेत थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी ललित पटवारी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी ललित पटवारी को हाथ मुक्का व पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 06.08.2015 को दैयत बाबा के पास स्थित उसके खेत के पास पड़ती जमीन पर बैल ढोर चरा रहा था। तभी अभियुक्त आया और उसे पड़ती जमीन पर घास जानवरों को क्यों चरा दी कहा जिस पर उसने कहा कि उसने नहीं चरायी है तो अभियुक्त ने उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे पत्थर उठाकर उसके सिर में मार दिया जिससे उसके सिर में बांयी तरफ चोट लगी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 423 / 15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया।

अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी ललित पटवारी और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ललित पटवारी को हाथ मुक्का व पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण**

5 ललित (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में बिहारी (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसे उसके बेटे ललित ने बताया था कि अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। आशीष (अ.सा.-3) का कहना है कि घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को गाली दिया था। मनीष पानकर (अ.सा.-6) का कहना है कि घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी के साथ गाली गलौच की थी।

6 ललित (अ.सा.-1), बिहारी (अ.सा.-2), आशीष (अ.सा.-3) एवं मनीष पानकर (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना

के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 ललित (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। बिहारी (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त ने ललित को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि फरियादी ललित (अ.सा.-1) ने अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

8 ललित (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त हरिराम ने पत्थर से उसके सिर में मारा था जिससे उसके सिर में चोट आयी थी। आशीष (अ.सा.-3) एवं मनीष मानकर (अ.सा.-6) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि अभियुक्त ने ललित को पत्थर से मार दिया था जिससे उसे चोट आयी थी। बिहारी (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसके बेटे ललित ने यह बताया था कि अभियुक्त ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 06.08.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत ललित का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर के बांये तरफ 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव होना तथा उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-3)

पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी एवं ललित (अ.सा.-1), आशीष (अ.सा.-3) मनीष मानकर (अ.सा.-6) एवं बिहारी (अ.सा.-2) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत के बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 रमा मसराम (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 06.08.2015 को थाना आमला की पुलिस चौकी बोड़खी में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 08.08.2015 को अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिया जाना प्रकट किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है जो कि अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करता है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में ललित (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय खेत पर बैल चरा रहा था तभी अभियुक्त हरिराम आया और बैल चराने की बात पर से उसके साथ विवाद किया और पत्थर उठाकर सिर में मारा जिससे उसे चोट आयी थी। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि घटना आशीष एवं मनीष ने देखी थी। आशीष (अ.सा.-3) एवं मनीष (अ.सा.-6) ने फरियादी ललित (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्त हरिराम का फरियादी ललित के साथ विवाद हो रहा था। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी थी। तभी अभियुक्त हरिराम ने पत्थर से फरियादी के सिर पर मार दिया था। मनीष (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त के हाथ में पत्थर देखा था तथा ललित को सिर में कान के पास चोट आयी थी। बिहारी (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे उसके बेटे ललित ने बताया था कि उसे अभियुक्त हरिराम ने पत्थर मारा था जिससे उसे चोट आयी थी।

13 ललित (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह सही होना बताया है कि उसने और अभियुक्त आपस में एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली थी और कॉलर छुड़ाने के लिए खींचातानी भी हुई थी परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि वह खींचातानी में गिर गया था जिससे उसे चोट आयी थी। स्वतः में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे पत्थर उठाकर मारा था। आशीष (अ.सा.-3) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि ललित एवं अभियुक्त हरिराम ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली थी और दोनों के बीच में कॉलर

छुड़ाने के लिए धक्का मुक्की हुई थी जिससे दोनों गिर गये थे परंतु इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि ललित के गिरने पर उसे सिर में चोट आ गयी थी। स्वतः में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने पत्थर उठाकर उसे मारा था। पुनः से साक्षी ने पैरा क्र. 04 में इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने ललित को कोई पत्थर नहीं मारा था और झूमा झटकी में गिरने से ललित को चोट आयी थी। मनीष मानकर (अ.सा.-6) ने भी बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि ललित एवं हरिराम दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली थी परंतु साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने हरिराम को पत्थर से नहीं मारा था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी ललित को पत्थर से मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। यद्यपि साक्षीगण के कथनों में कुछ विसंगति है परंतु तात्विक विसंगति न होने से अभियोजन कथा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

14 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 06.08.2015 की दिन के 2 बजे की है तथा उक्त दिनांक को ही घटना की रिपोर्ट तत्काल पश्चात 02:45 बजे की गयी है। फरियादी ललित (अ.सा.-1) के कथन साक्षीगण से समर्थित है। साथ ही उसकी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी संपुष्ट है। घटना के तत्काल पश्चात रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिससे अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी ललित को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

15 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी ललित (अ.सा.-1) के साथ पत्थर से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी ललित पटवारी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ललित पटवारी को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त हरिराम

को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

17 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

#### पुनश्च :-

18 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए०डी०पी०ओ० के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए०डी०पी०ओ० का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी के साथ पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

19 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

20 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं दण्डना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 900/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/- रुपये आहत ललिता पिता बिहारी पटवारी निवासी अंधारिया, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

22 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)